कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान(राउमावि / राबाउमावि)	अवधि	राउमावि / राबाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्री मनीष राम पूनिया व्याख्याता संस्कृत, कार्यालय ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान, नोहर (हनुमानगढ)	अगस्त 2019 एवं सितम्बर 2019	राउमावि भूकरका, हनुमानगढ से व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद विरूद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 06/01/2020

क्रमांक—शिविरा / मा / संस्था / सी—1 / वेतन व्यवस्था / 2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :—

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर